(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 986–पीबीआर/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–3–09 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 59/2007–08/निग.

रामपाल सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री इश्वरिया (मृतक)
द्वारा वारिसान–

(1) श्रीमती मथुरो पत्नी स्व. रामपाल सिंह
(2) श्रीमती वशन्ती पुत्री स्व. रामपाल सिंह
(3) रमेश सिंह कुशवाह पुत्र स्व. रामपाल सिंह
(4) कैलाश सिंह कुशवाह पुत्र स्व. रामपाल सिंह
(5) श्रीमती सरोज पत्नी स्व. राजेश पुत्री स्व. रामपाल सिंह
(6) निशान्त पुत्र स्व. राजेश पुत्र स्व. रामपाल सिंह
निवासीगण ग्राम अजयपुर
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती रामकली पत्नी भवानी प्रसाद मुदगल
निवासी माधवगंज मुदगल की पायगा, लश्कर
तहसील व जिला ग्वालियर
2– भान सिंह पुत्र दयाराम
3– बाबू सिंह पुत्र दयाराम
4– राकेश पुत्र दयाराम
निवासीगण ग्राम गिरवाई
तहसील व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री जी0एस0 बनाफर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/8/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष उभय पक्ष के भूमिस्वामी स्त्व की भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा बटवारे की कार्यवाही की जाकर दिनांक 19–7–02 को बटवारा आदेश पारित किया गया है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–8–2005 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 16–3–09 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है, और उनके गलत पते देकर उक्त गलत पते पर तामीली कराई गई है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में न्याय की गम्भीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि फर्द बटवारे पर आवेदकगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर तहसीलदार द्वारा नहीं दिया गया है, इस स्थिति पर अनुभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा भी कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदकगण को विधिवत सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर उसके पश्चात फर्द बटवारा तैयार करते हुए उस पर आपत्ति का अवसर देकर तहसीलदार को बटवारा आदेश पारित करना चाहिए था । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है।

तर्कों के समर्थन में 1999 आर.एन. 409 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत सभी सह खातेदारों को सूचना दी जाकर विधिवत फर्द बटवारा तैयार कराया गया है, और फर्द बटवारे पर आपत्तियां आमत्रित करते हुए बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि उभय पक्ष वर्षों से बटवारा कर अपनी–अपनी भूमि पर काबिज हैं, अतः उसी अनुसार तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुकूल है, अतः उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत बटवारे की कार्यवाही की जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया है, और तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है । आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय में गुण–दोष पर तर्क प्रस्तुत नहीं कर केवल तकनीकी स्वरूप के आधार उठाये गये हैं, जिनके आधार पर मूल आदेश में परिवतन किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–09 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर